

Government of National Capital Territory of Delhi DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITY

11nd Floor, B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Ph.: 23379511-12, Fax: 23379513,

Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in

CLOSING DATE: 05.09.2014

Pre-Matric Scholarship to OTHER BACKWARD CLASSES Students Studying in Class I to X (2014-15) **(Sponsored by Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India)**

Applications are invited from eligible students of National Capital Territory of Delhi upto 05.09.2014 between 10.00 AM to 01.00 PM belonging to Other Backward Classes notified by the Central/State Government pursuing Education from Class I to X in Government/Aided Schools/Institute or Private School/Institute recognized by approved authority. Public Schools affiliated to Directorate of Education/Kendriya Vidyalaya (in Delhi only) /National Open Schools/Schools affiliated to NDMC/ East, North & South Municipal Corporation of Delhi/Delhi Cantonment Board for awarding Pre-Metric Scholarship. The scheme is specially meant for other Backward Classes having domicile of NCT of Delhi.

- Eligible students studying in schools affiliated to East, North & South Municipal Corporation of Delhi may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal to zone concerned. Zone incharge in turn may submit to consolidated proposal to Assistant Education Officer, 15th Floor, Civic Centre, Minto Road, New Delhi.
- Eligible students studying in school affiliated to N.D.M.C may submit the forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal to Deputy Education Officer (General), Department of Education 10th Floor, Palika Kendra Sansad Marg New Delhi.
- Eligible students studying in school affiliated to Directorate of Education may submit their form to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal to Deputy Director Sch./Planing Branch, Education Deptt., Old Partrachar Building, Timarpur, Delhi-52 who is Nodal Officer in the matter.
- Eligible students studying in schools affiliated to Delhi Cantonment Board may submit the forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the Office of the Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board, Delhi Cantonment, Delhi-110010.
- Eligible students studying in schools affiliated to Kendriya Vidyalaya Sangathan may submit their form to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the Office of the Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Delhi Region, JNU Campus, New Delhi.
- Eligible students studying in Recognized Public Schools, National Open Schools and other schools approved by the Government but not falling under any of the category at S.No. 1 to 5 above, may submit their forms to Head of Schools/Principal who in turn may submit the consolidated proposal along with application form duly verified by the Principal to Deputy Director(Scholarship) ,Department for Welfare of SC/ST/OBC/Min., B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi-110002 immediately or latest by **15.09.2014**.
- Bank account should be in the name of the student (Joint Bank account with parent /Guardian is also permissible and form of Bank details should be verified by concerned Bank Authority.
- ELIGIBILITY:** Scholarship will be granted in the case of students whose Parent's/Guardian's annual Income from all sources does not exceed Rs. 44,500/- (Rs.Forty Four Thousand and Five Hundred only.)
- CONDITIONS FOR SCHOLARSHIP:**
 - Amount of Scholarship will be credited to the students personal Bank Account and performa of bank detail should be verified by the concerned Bank/Branch authority.
 - Students claiming benefits under the scheme shall not be allowed to get benefits under any other Pre-Metric scholarship scheme.
 - The students may not be allowed to take up employment of under help to parents in their work during the course of studies.
 - The scholarship will be discontinued if a student fails to secure annual promotion except in case of unavoidable reasons to be certified by the competent authority of the scheme.
 - If a student violates school discipline or any other terms and conditions of the scholarship, scholar may be suspended or even cancelled subject to satisfaction of the competent school authority.
 - Migration of students from one institution to another would not normally be allowed during the course of academic year except exceptional circumstances and in the interest of students academic career.
 - The students should be regular in attendance for which the yardstick shall be decided by the competent authority of the school.

4. RATES OF SCHOLARSHIP:

S. No.	Class	Rate for Day Scholar for Ten Months	Rate for Hosteller for Ten Months	ADHOC grant (per annum)	Total benefit (per annum)
1.	I to V	250/-	---	500/-	750/-
2.	III to VII	---	2000/-	500/-	2500/-
3.	VI to VIII	400/-	---	500/-	900/-
4.	IX to X	---	2500/-	500/-	3000/-
5.	IX to X	500/-	---	500/-	1000/-

"Hostellers include students who are not staying in hostel of the school/institute concerned or those provided by the State Government/Union Territory. The scholarship amount will be payable from the date of joining to the date of leaving the school, excluding the period of vacation, which will be about 10 months in a year except in the cases where the students enters late or leaves early in the midst of academic year.

5. HOW TO APPLY:

The application form can be downloaded from website of this department (www.scstwelfare.delhigovt.nic.in)

6. OTHER CONDITION:

- Individual applications shall not be entertained, Head of School must ensure that no eligible Other Backward Class students is left out and consolidated list of students should be sent to concerned office indicated above. The Nodal Officer of the concerned Department/Organization should forward the complete proposal (In soft as well as hard copy as per format being sent separately) to the Deputy Director (Scholarship), Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minority, 2nd Floor, B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate,

New Delhi on or before **15.09.2014**. Application received after the last date will be rejected summarily. On the forwarding letter Name of the Scheme & Year should be clearly indicated.

- Family Income should not exceed Rs. 44,500/- (Rupees Forty Four Thousand and Five Hundred only) per annum, Self declaration of family Income in the prescribed format (available on website) is required.
- OBK caste certificate in the name of the student/father should be issued by S.D.M./Deputy Commissioner, Government of N.C.T of Delhi.
- The eligibility of the applicant will be decided as per the Guidelines/Notification/Circular write up of the scheme Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment issued by Time to Time.

DIP/0636/14-15

For further details and application form please log on the website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.

कक्षा I से X (2014-15) में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास छात्रों जो सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूलों/ संस्थानों या स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल/संस्थान, शिक्षा निदेशालय/ केन्द्रीय विद्यालय (केवल दिल्ली में)/राष्ट्रीय ओपन स्कूलों से संबद्ध पब्लिक स्कूलों एनडीएमसी/ पूर्वी, उत्तरी एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/ दिल्ली छावनी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से X तक अध्ययन कर रहे केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्रों से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति लेने हेतु 05.09.2014 को प्रातः 10:00 बजे से अप. 1:00 बजे के मध्य तक आवेदन आमंत्रित हैं। यह स्कीम केवल रा.रा. क्षेत्र दिल्लीवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष रूप से लाया गया है।

- योग्य छात्र जो कि दिल्ली नगर निगम से संबद्ध विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे अपना प्रपत्र विद्यालय के प्रधान/प्रधानाचार्य को जमा कराएं जिसके परिणामस्वरूप वे समेकित प्रस्ताव संबंधित जेन को जमा कराएंगे। इसके बाद जेन प्रभारी समेकित प्रस्ताव को सहायक शिक्षा अधिकारी, 15वां तल सिविक सेन्टर, मिन्दो रोड, नई दिल्ली को जमा कराएंगे।
- योग्य छात्र जो कि एनडीएमसी से संबद्ध विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे अपना प्रपत्र विद्यालय के प्रधान/प्रधानाचार्य को जमा कराएं जिसके परिणामस्वरूप वे समेकित प्रस्ताव उप शिक्षा अधिकारी (सामान्य), शिक्षा विभाग, 10वां तल, पालिका केन्द्र संसद मार्ग दिल्ली को जमा कराएंगे।
- योग्य छात्र जो कि शिक्षा निदेशालय से संबद्ध विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वे अपना प्रपत्र विद्यालय के प्रधान/ प्रधानाचार्य को जमा कराएं जिसके परिणामस्वरूप वे समेकित प्रस्ताव उप निदेशक स्कूल/योजना शाखा, शिक्षा विभाग, पुरानी पत्राचार बिल्डिंग, तिमरपुर, दिल्ली-52 को जमा कराएंगे जो कि मामले में नोडल अधिकारी हैं।
- योग्य छात्र जो कि दिल्ली छावनी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे अपना प्रपत्र विद्यालय के प्रधान/प्रधानाचार्य को जमा कराएं जिसके परिणामस्वरूप वे समेकित प्रस्ताव कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली छावनी, दिल्ली-110010 को जमा कराएंगे।
- योग्य छात्र जो कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबद्ध विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वे अपना प्रपत्र विद्यालय के प्रधान/ प्रधानाचार्य को जमा कराएं जिसके परिणामस्वरूप वे समेकित प्रस्ताव कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली क्षेत्र, जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली को जमा कराएंगे।
- योग्य छात्र जो कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों, राष्ट्रीय ओपन स्कूल और सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं किंतु उपरोक्त श्रेणी सं. 1 से 5 के तहत नहीं आते हैं, अपना प्रपत्र विद्यालय के प्रधान/प्रधानाचार्य को जमा कराएं जिसके परिणामस्वरूप वे प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित आवेदन प्रपत्र के साथ समेकित प्रस्ताव उप निदेशक (छात्रवृत्ति), अजा/ अजजा/ अपिव/ अल्पसंख्यक, बी ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002 तक तत्काल या अधिकतम 15.09.2013 तक जमा कराएंगे।
- बैंक खाता छात्र के नाम पर होना चाहिए। माता-पिता/ अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाता और बैंक विवरण का प्रपत्र संबंधित बैंक प्राधिकरण द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
- योग्यता :** जिन छात्रों के माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर रु. 44,500/- (रु. चालिस हजार पांच सौ केवल) से अधिक नहीं है, के मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- छात्रवृत्ति हेतु शर्तें:-**
 - छात्रवृत्ति की राशि छात्र के व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा हो जाएगी और बैंक विवरण का प्रारूप संबंधित बैंक/ शाखा प्राधिकरण से सत्यापित किया जाएगा।
 - छात्र जो कि योजना के तहत लाभ का दावा करेंगे उन्हें किसी अन्य प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - शिक्षा पाठ्यक्रम के दौरान अपने माता-पिता के लिए उनके रोजगार में सहायता करने वाले छात्रों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - यदि कोई छात्र अपनी वार्षिक उन्नति उन मामलों को छोड़कर जो कि योजना के संबंधित प्राधिकरण द्वारा अपरिहार्य कारणों से सत्यापित किए गए हों, को मजबूत करने में असफल होता है तो उसकी छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी।
 - यदि कोई छात्र विद्यालय के अनुशासन या छात्रवृत्ति को कोई अन्य नियम या शर्तों का उल्लंघन करता है तो छात्रवृत्ति स्थगित कर दी जाएगी साथ ही सक्षम स्कूल प्राधिकरण से संबंधित निरस्त भी किया जा सकता है।
 - शैक्षणिक सत्र के पाठ्यक्रम के दौरान अपवाद परिस्थितियों और छात्र के शैक्षणिक भविष्य के हित को छोड़कर छात्र का एक संस्थान से छोड़कर दूसरे संस्थान में स्थानांतरण की सामान्य रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - छात्रों की स्कूल में नियमित उपस्थिति होनी चाहिए जिनका निर्धारण स्कूल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4. छात्रवृत्ति की दरें

क्र. सं.	कक्षा	दस माह के लिए डे-स्कूलर हेतु दरें	दस माह के लिए छात्रावासी के लिए दर	तदर्थ अनुदान (प्रति वर्ष)	कुल लाभ (प्रति वर्ष)
1.	I से V	250/-	—	500/-	750/-
2.	III से VII	—	2000/-	500/-	2500/-
3.	VI से VIII	400/-	—	500/-	900/-
4.	IX से X	—	2500/-	500/-	3000/-
5.	IX से X	500/-	—	500/-	1000/-

छात्रावासी में ऐसे छात्र जो संबंधित स्कूल/संस्थान या जों राज्य सरकार/केन्द्र शासित द्वारा उपलब्ध कराये छात्रावास में नहीं रह रहे हैं, शामिल हैं। छात्रवृत्ति राशि स्कूल से जुड़ने की तिथि से छोड़ने की तिथि तक, छुट्टी अवधि छोड़कर जो कि वर्ष में 10 माह के लगभग होगा। सिवाय जहां विलंब से छात्र शामिल होते हैं या मध्य शैक्षिक सत्र में पहले ही छोड़ते हैं, तक भुगतान किया जाएगा।

5. आवेदन कैसे करें :

आवेदन प्रपत्र को इस विभाग की वेबसाइट (www.scstwelfare.delhigovt.nic.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।

6. अन्य शर्तें :

- व्यक्तिगत आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, स्कूल के प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र समेकित सूची से छूटे नहीं और वे उक्त निर्दिष्ट संबंधित कार्यालय में भेजना चाहिए। संबंधित विभाग/संगठन के नोडल अधिकारी को 15.09.2014 तक या पहले उपनिदेशक (छात्रवृत्ति), अजा/अजजा/अपिव/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दूसरी मंजिल, बी ब्लॉक, विकास भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली को (पृथक रूप से भेजे जाने वाले प्रारूप के अनुसार सॉफ्ट के साथ-साथ हार्ड कापी) संपूर्ण प्रस्ताव अग्रसारित करना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। अग्रसारण पत्र पर स्कीम का नाम व वर्ष साफ निर्दिष्ट होना चाहिए।
- पारिवारिक आय रु. 44500/- (चवालीस हजार पांच सौ रुपए मात्र) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। पारिवारिक आय का स्व घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप (वेबसाइट पर उपलब्ध) में देना बांछित है।
- छात्र/पिता के नाम पर अपिव जाति प्रमाण पत्र एसडीएम/ उपायुक्त, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रदत्त होना चाहिए।
- आवेदक की पात्रता समय-समय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देश/अधिसूचना/ स्कीम के लिखित संकुलर के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।